उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-30/2017/432//22-4-17-104(ब)/98

लखनऊ : दिनांक- 25 मई,2017

शुद्वि पत्र

शासनादेश संख्या-24/2017/368/22-4-17-104(ब)/98, दिनांक-16.05.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित नवसृजित जनपद चन्दौली में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 3,10,63,337/- (रूपया तीन करोड़ दस लाख तिरेसठ हजार तीन सौ सैंतिस मात्र) **के स्थान पर** धनराशि रू0 3,10,63,837/- (रूपया तीन करोड़ दस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ सैंतिस मात्र) पढ़ा जाय तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09- नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था -24-वृहत् निर्माण कार्य " **के स्थान पर** लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09- नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए एक मुश्त व्यवस्था -24-वृहत् निर्माण कार्य" पढ़ा जाय।

2- कृपया शासनादेश दिनांक-16.05.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-30/2017 /432(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, चन्दौली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in